उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांकः–पी0ओ0–डी0जी0एम0एच0/2025/19991 देहरादून, दिनाँक, 23 जुलाई, 2025

प्रेषित,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/उप जिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।

विषयः– जिला एवं उप जिला चिकित्सालयों से अत्यधिक सन्दर्भण (रैफरल) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के पत्राँक–166/स0चि0स्वा0एवं चि0शि0 दिनाँक 22.07.2025, जो आपको सम्बोधित तथा जिसकी प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित की गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जिला एवं उप जिला चिकित्सालयों से किये जाने वाले रोगी सन्दर्भण (Patient Referral) हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। अतः सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनाँक 22.07.2025 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सालयों से रोगी सन्दर्भण हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये रोगी सन्दर्भण से सम्बन्धित सूचना प्रत्येक सप्ताह (शनिवार को) ई–मेल आई0डी0 admcuk@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– यथोपरि

भवदीया,

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पृ0सं0: पी0ओ0–डी0जी0एम0एच0/2025/19992 तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि रोगी सन्दर्भण हेतु शासन स्तर से निर्गत दिशा–निर्देशों का अपने–अपने मण्डल में अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में सन्दर्भण व्यवस्था एवं आकड़ों का साप्ताहिक रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुये तत्सम्बन्धी आख्या पाक्षिक रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,भा0प्र0से0
Dr. R.Rajesh Kumar, IAS
सचिव
Secretary

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक 166
स0चि0स्वा0 एवं चि0शि0
दिनांक 22/07/25

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
Medical Health and Medical Education
4th सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड सचिवालय
4th Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun
Phone : 0135-2719912

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, समस्त जिला एवं उप जिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।

विषय–: जिला एवं उप जिला चिकित्सालयों से अत्यधिक सन्दर्भण (रेफरल) के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक विदित हों कि राज्य के समस्त जिला एवं उप–जिला चिकित्सालयों से किये जाने वाले अत्यधिक/अनावश्यक रोगी सन्दर्भण (Patient Referral) पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा घोर अप्रसन्न्ता व्यक्त की गई है। उक्त अनावश्यक सन्दर्भण न केवल रोगियों को उपचार मिलने में विलम्ब करता है, जो कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित है, साथ ही यह विभाग की छवि को भी धूमिल करता है।

इस क्रम में विभाग द्वारा Secondary Level चिकित्सालयों (जिला एवं उप–जिला चिकित्सालयों) से सन्दर्भण सम्बंधी Standard Operating Procedure (SoP) के गठन की प्रक्रिया गतिमान है, जोकि शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त SoP की उपलब्धता तक सभी को आदेशित किया जाता है कि सभी जिला एवं उप जिला चिकित्सालय द्वारा निम्न कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाए–

1. जिला एवं उप जिला चिकित्सालयों द्वारा उच्च स्तर पर (मेडिकल कॉलेज आदि) को सन्दर्भण व्यापक जनहित में एवं उसी दशा में किया जाये जब उनके स्तर पर (Secondary level) संबंधित विशेषज्ञता (Speciality एवं Super Speciality) का आभाव हो।

2. चिकित्सालय द्वारा हायर सेंटर में किये जाने वाले सभी सन्दर्भणों को ऑन डयूटी वरिष्ठ फिजिशियन/सम्बंधित विशेषज्ञ द्वारा स्वयं परीक्षण एवं जांच कर केवल पात्र केस को ही रेफर किया जाएगा। दूरभाष के माध्यम एम0ओ0/ई0एम0ओ0 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सन्दर्भण मान्य नहीं होगा।

3. ऑन डयूटी वरिष्ठ कन्सलटेंट/विशेषज्ञ चिकित्सक स्वयं रोगी की जांच कर रेफरल की आवश्यकता से सन्तुष्ट होने की दशा में सन्दर्भण को अग्रसारित करेंगे। यहां यह इंगित किया जाना समीचीन है कि ऐसा करते समय वरिष्ठ कन्सलटेंट/विशेषज्ञ चिकित्सक व्यक्तिगत रूप से रोगी का गहन परीक्षण कर वाइटल्स एवं अन्य संबंधित पैरामीटरर्स पर जांच कर यह भलीभांति सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सन्दर्भण ही रोगी के जीवनरक्षण हेतु एकमात्र विकल्प है।

4. उक्त सन्दर्भण पर वरिष्ठ परामर्शदाता/विशेषज्ञ की इस आशय से स्पष्ट संस्तुति होनी आवश्यक है कि प्रश्नगत सन्दर्भण के अतिरिक्त रोगी के उपचार के क्रम में अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है की पुष्टि चिकित्सा ईकाई के अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक द्वारा स्वयं रोगी की जांच कर व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त होने के उपरान्त उनकी स्पष्ट संस्तुति इस आशय से अंकित की जायेगी कि वह उपरोक्त रेफरल के कारणों से वे भी पूर्णतयाः संतुष्ट हैं।

5. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त समय का क्षय न हो। सन्दर्भण व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु यह आवश्यक है कि उपरोक्त सभी स्तरों पर (चिकित्सक एवं अधीक्षक स्तर) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाएं तथा केवल पात्र रोगियों को ही उच्च स्तर पर सन्दर्भित किया जाए, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सक/अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपरोक्त सन्दर्भण व्यवस्था के सुचारू होने से न केवल आम–जनमानस को लाभ मिलेगा अपितु स्वास्थ्य इकाईयों की कार्य प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता तथा जनोन्मुखी व्यवहार का संचार होगा।

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सन्दर्भण व्यवस्था एवं आकड़ों का साप्ताहिक रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुये तत्सम्बन्धी आख्या पाक्षिक रूप से शासन को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. प्राचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि मेडिकल कॉलेज भी उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये केवल उन्हीं रोगियों का सन्दर्भण सुनिश्चित करें जिन हेतु संबंधित विशेषज्ञता का (Speciality एवं Super Speciality) आभाव हो एवं सन्दर्भण के अतिरिक्त अन्य विकल्प न हो।

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव
23/1/2025